

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :- रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

पुराना मुकदमा न०- 211/2020 पुनः दर्ज 06/2023

दर्ज दिनांक 18.09.2020

पुनः दर्ज दिनांक 05.01.2023

निर्णय दिनांक 01.02.2023

पुनः दर्ज जी सी एम एस न० 2023/92

प्रहलाद आदि

बनाम  
अंतिम निर्णय


अर्जुनराम

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 31.03.2021 को प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित किया गया कि ग्राम ढाणी खेदड़ा पटवार हल्का खेदड़ा की ढाणी तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा न. 318, 320 कुल किता 2 कुल रकबा 2.7600 है० में वादीगण का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा काश्त के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार गुढागौड़जी उभयपक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें।


प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.03.2021 की पालना में तहसीलदार (भू.अ.) गुढागौड़जी से पत्र क्रमांक:- भू.अ./2022/5207 दिनांक 21.12.2022 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान की बहस श्रवण की गई। विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान सहमत है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में वाद को विभाजन प्रस्ताव के अनुसार डिक्री किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतित होता है।

## आदेश

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21.12.2022 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21.12.2022 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार गुढागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

  
रामसिंह राजावत)  
उपखण्ड अधिकारी  
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 01.02.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(रामसिंह राजावत)  
उपखण्ड अधिकारी  
उदयपुरवाटी



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं  
अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई  
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

पीठासीन अधिकारी :- रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

पुराना मुकदमा न०- 211/2020 पुनः दर्ज 06/2023

पुनः दर्ज दिनांक 05.01.2023

पुनः दर्ज जी सी एम एस न० 2023/92

दर्ज दिनांक 18.09.2020

निर्णय दिनांक 01.02.2023

प्रहलाद आदि


बनाम

अर्जुनराम

अंतिम निर्णय  
दावा विभाजन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड  
अधिकारी उदयपुरवाटी ब हाजिरी उभयपक्षकारान मिनजानिब मुदई वल्द ...  
-..मिनजानिब मदयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि :-

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21.12.2022 को अंतिम डिक्री  
किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21.12.2022 मय नजरी नक्शा अंतिम  
निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार गुढागौड़जी को  
आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में  
तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।  
निज..-.....निल..... मुबलिक -.....निल..... दाबन.-.....  
.....निल..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह -..  
.....निल..... फीसदी आज की तारीख से तारीख अदायगी तक -...  
.....निल..... का अदा करे। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के  
आज तारीख 01 माह 02 सन 2023 को जारी की गई।

  
(रामसिंह राजावत)  
उपखण्ड अधिकारी  
उदयपुरवाटी